न्यायालय– प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सरायपाली जिला महासमुन्द (छ0ग0) द्वारा जमानत प्रकरण क. 568/2022 (मनोरंजन शामल विरूद्ध छ0ग0 राज्य) में दिनांक 21.10.2022 को पारित आदेश की प्रतिलिपि :–

मनोरंजन शामल पिता प्रफुल्ल शामल उम्र 36 वर्ष
निवासी ग्राम बसना थाना बसना
जिला–महासमुन्द(छ.ग.).....**आवेदक**

–:: विरूद्ध ::–

छ0ग0 राज्य द्वारा
थाना बसना,
अपराध कमांक 559/2022 ..... **अनावेदक**

21.10.2022 आवेदक की ओर से बी0एस0 सलूजा अधिवक्ता उपस्थित।
अनावेदक/राज्य द्वारा श्री आर.एल. पटेल अति. लोक अभियोजक।

प्रकरण जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. पर तर्क हेतु नियत है।

थाना बसना से अपराध कं. 559/2022 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

जमानत आवेदन के साथ आवेदक को अपना **चचेरा भाई** होना बताते हुए **नरेन्द्र कुमार** का शपथ पत्र पेश किया गया है। उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित है कि आवेदक की ओर से धारा 439 दं0प्र0सं0 का यह **प्रथम** जमानत आवेदन पेश है तथा उक्त आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है।

प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को थाना बसना द्वारा उक्त अपराध के तहत गिरफ्तार कर दिनांक 18.10.2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना के समक्ष पेश किया गया था। जहां उसकी ओर से दिनांक 18.10.2022 को प्रस्तुत जमानत आवेदन उक्त दिनांक को निरस्त कर दिया गया है। आवेदक दिनांक 18.10.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक निर्दोष है, उसे शंका के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उसके पास से किसी प्रकार की मदिरा की जप्ती विधिवत नहीं की गयी है। आवेदक अपने परिवार का अकेला सदस्य है एवं परिवार का भरण पोषण करता है, आवेदक के लंबे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार वालों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा एवं भरण पोषण के लिए आर्थिक परेशानी उठानी पड़ेगी। आवेदक पर अधिरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है तथा प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। आवेदक ग्राम बसना थाना बसना का स्थायी निवासी है, इसलिये उसके कहीं फरार होने की कोई संभावना नहीं है। प्रकरण के निराकरण में लंबा समय लगने की संभावना है। आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है, अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया है कि आरोपी के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है, जमानत आवेदन निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष के तर्क श्रवण किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदन पर विचार किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से आवेदक की संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध में दर्शित होती है। आवेदक के विरूद्ध मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का आरोप नहीं है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। थाना बसना से प्राप्त केस डायरी के अनुसार आवेदक के कब्जे से शराब एवं बियर कुल **मात्रा 09.800 लीटर** जप्त की गई। केस डायरी में संलग्न आवेदक के गिरफ्तारी पत्रक के अनुसार आवेदक ग्राम थाना बसना जिला महासमुंद का निवासी है। केस डायरी के अनुसार आवेदक को दिनांक 18.10. 2022 को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रिकार्ड होने संबंधी जुर्म जरायम की कोई प्रति केस डायरी में संलग्न नहीं है। प्रकरण के निराकरण में अधिक समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। थाना बसना से प्राप्त प्रतिवेदन में आवेदक के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं होना बताया गया है।

अतः उक्त समस्त परिस्थितियों के आधार **आवेदक मनोरंजन शामल** की ओर से प्रस्तुत यह **प्रथम जमानत** आवेदन पत्र अंतर्गत **धारा 439 द.प्र.सं.** इस शर्त के साथ **स्वीकार** किया जाता है कि आवेदक अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, अभियोग पत्र प्रस्तुत होने की दशा में विचारण न्यायालय के समस्त आदेशों का पालन करेगा तथा शेष विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। आवेदक की ओर से यदि रूपये 20,000/– का एक सक्षम जमानत तथा 20,000/–रूपये का स्वयं का मुचलका विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य पेश किया जावे तो आवेदक को जमानत पर रिहा किया जावे।

केस डायरी, आदेश की प्रति के साथ वापस की जावे। आदेश एक प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को रिमाण्ड प्रपत्र के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–
(श्रीमती शोभना कोष्टा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायपाली
जिला–महासमुन्द(छ0ग0)

<u>प्रतिलिपि :–</u>

01– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना, जिला–महासमुन्द को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02– थाना बसना, जिला–महासमुन्द को सूचनार्थ।

सही/–

(श्रीमती शोभना कोष्टा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायपाली
जिला–महासमुन्द(छ0ग0)